यूपी में बनी ई बसों को खरीद में दें प्राथमिकता : योगी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि प्रदेश में ई बसों की खरीद में मेड इन यूपी को ही प्राथमिकता दी जाए। परिवहन विभाग वाहन खरीदते समय इस बात का ध्यान रखे कि ज्यादातर वाहन प्रदेश में ही निर्मित हों। इससे प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सीएम शुक्रवार को परिवहन विभाग और उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। यात्रियों की सुविधा, सड़क सुरक्षा, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहन देने और राजस्व वृद्धि पर ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने सुगम आवागमन के लिए नए रूट चिह्नित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया जाए। उन्होंने

मुख्यमंत्री ने बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

राज्य में बन रहे आठ इलेक्ट्रिक डिपो, ईवी को मिलेगा प्रोत्साहन

रक्षाबंधन पर 78 लाख महिलाओं को निशुल्क सुविधा देने पर खुशी जाहिर की।

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि रोडवेज के 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विश्वस्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरे चरण में 54 अतिरिक्त बस स्टेशनों का विकास किया जाएगा। 50 बस स्टेशनों का निर्माण चल रहा है। यूपीएसआरटीसी 8 शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो भी स्थापित कर रहा है, जहां 240 किलोवाट क्षमता के 4 से 8 यूनिवर्सल चार्जर लगाए जाएंगे।

अक्तूबर से प्रदेश में बने ईवी पर ही सब्सिडी

लखनऊ। अक्तूबर से प्रदेश में बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी मिलेगी। ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है, जिस पर अभी अंतिम निर्णय होना है।

ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्रदेश में यूनिटें लगाई जाएंगी, जिससे रोजगार भी सृजित होगा। अभी तक देश में कहीं भी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को यूपी में खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है जो 20 लाख तक है।

वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी लागू की गई। इसके तहत ईवी पर सब्सिडी देकर वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया गया। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेशभर में बड़ी संख्या में वाहनों की खरीदारी हुई और ग्राहकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया। करीब 60 करोड़ रुपये सब्सिडी के तहत दिए जा चुके हैं।

इसी क्रम में अब पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि 14 अक्तूबर से यह नया नियम लागू हो सकता है। चूंकि

शासन को भेजा गया प्रस्ताव अंतिम निर्णय का इंतजार

20 लाख रुपये तक मिलती है ईवी पर सब्सिडी

यह होगा फायदा

अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बनने वाले ईवी पर सब्सिडी देने से रोजगार सृजित होंगे। बड़ी-बड़ी कंपनियों को बिक्री बढ़ाने के लिए यूपी में यूनिटें लगानी होंगी। इससे रोजगार के साथ राजस्व की भी वृद्धि होगी जिससे प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी।

प्रदेश में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी व टैक्स-पंजीकरण में छूट दी जा रही है। अक्तूबर में पॉलिसी के तीन साल पूरे हो जाएंगे। अब प्रदेश में बनने वाले ईवी पर सब्सिडी मिलेगी, इसे लेकर शासन को निर्णय लेना है। **-बीएन सिंह,** परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग

वर्ष 2022 में उपरोक्त तारीख से ही पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं।